न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.

(जीसीएमएस न. 2025 / 131)

प्रकरण संख्या:—81 / 2025

तारीख दायर:— 14 / 08 / 2025

निर्णय दिनांक:—15 / 10 / 2025

उनवान

1.जीलाल पिता हेमराज जाति कंसारा निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थी।

बनाम

1. देवीसिंह पिता चुनसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. केसरसिंह पिता भैरू सिंह जाति रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. अमरसिंह पिता चिमन सिंह जाति रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. शेरसिंह पिता भैरूसिंह निवासी खीमातों की बरजाल तहसील भीम जिला राजसमन्द।
5. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा जरिये प्रधानाध्यापक तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा पटवार सर्कल स्वादडी ए तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 170 खसरा संख्या 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431 कुल किता 07 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 एवं 05 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 एवं 05 विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला—राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम किशनपुरा पटवार सर्कल स्वादडी ए तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 170 खसरा संख्या 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431 कुल किता 07 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)